

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 9

भेषज विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	58.96	34.45	93.41	177.00	40.83	217.83	61.00	39.88	100.88	209.96	48.98	258.94	
पूँजी	9.22	5.00	14.22	30.00	0.04	30.04	26.49	9.67	36.16	0.04	0.04	0.08	
जोड़	68.18	39.45	107.63	207.00	40.87	247.87	87.49	49.55	137.04	210.00	49.02	259.02	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.91	8.49	9.40	1.00	11.72	12.72	1.00	9.69	10.69	1.00	11.28	12.28
उद्योग													
भेषज उद्योग													
2. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	2852	45.07	19.20	64.27	87.00	17.03	104.03	31.80	20.87	52.67	98.96	27.48	126.44
3. राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	2852	...	6.75	6.75	2.00	12.07	14.07	2.00	9.31	11.31	5.00	10.21	15.21
4. भेषज निर्यात संवर्धन योजना (पीईपीएस)	2852	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
5. भेषज संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस)	2852	0.93	...	0.93	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
6. भेषज की अन्य चालू योजनाएं													
6.01 जन औषधि योजना	2852	15.20	...	15.20	30.00	...	30.00	9.67	...	9.67	35.00	...	35.00
6.02 भेषज पीएसयू के लिए डब्ल्यूएचओ-जीएमआर हेतु महत्वपूर्ण सहायता	2852	10.00	...	10.00	6.84	...	6.84	10.00	...	10.00
6.03 फार्मेक्सिल में आईपीआर सुविधा केन्द्र का सृजन	2852	0.25	...	0.25	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
6.04 बल्क ड्रग्स संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना	2852	2.00	...	2.00	0.25	...	0.25	22.00	...	22.00
6.05 भेषज की नई योजनाएं	2852	2.44	...	2.44	21.00	...	21.00	3.44	...	3.44	15.00	...	15.00
जोड़- भेषज की अन्य चालू योजनाएं		17.89	...	17.89	64.00	...	64.00	20.70	...	20.70	82.00	...	82.00
जोड़-भेषज उद्योग		63.89	25.96	89.85	155.00	29.11	184.11	56.00	30.19	86.19	187.96	37.70	225.66
जोड़-उद्योग		63.89	25.96	89.85	155.00	29.11	184.11	56.00	30.19	86.19	187.96	37.70	225.66
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजना/योजना के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	21.00	...	21.00	4.00	...	4.00	21.00	...	21.00
8. सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण													
8.01 स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. (एसएसपीएल)	6857

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8.02 बंगाल कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	6857	0.01	0.01	0.01	0.01	
8.03 बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल)	6857	0.01	0.01	0.01	0.01	
8.04 इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	6857	0.01	0.01	0.01	0.01	
8.05 हिन्दुस्तान एन्टी बायोटेक्स लि. (एच.ए.एल.)	6857	0.01	0.01	...	9.67	9.67	...	0.01	0.01	
जोड़- सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण	0.04	0.04	...	9.67	9.67	...	0.04	0.04	
9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	6857	9.22	5.00	14.22	30.00	...	30.00	26.49	...	26.49	0.04	...	0.04
10. वास्तविक वसूलियां	2852	-5.84	...	-5.84	
कुल जोड़		68.18	39.45	107.63	207.00	40.87	247.87	87.49	49.55	137.04	210.00	49.02	259.02
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
9.01 हिन्दुस्तान एन्टीबायोटेक्स लि. (एचएएल)	12857	6.20	...	6.20	16.79	...	16.79	14.49	...	14.49	0.01	...	0.01
9.02 बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	12857	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	0.01	...	0.01
9.03 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	12857	3.02	...	3.02	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01
9.04 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आरडीपीएल)	12857	1.21	...	1.21	0.01	...	0.01
जोड़		9.22	...	9.22	30.00	...	30.00	26.49	...	26.49	0.04	...	0.04
ग. योजना परिव्यय													
1. रसायन और भेषज उद्योग	12857	67.27	...	67.27	185.00	...	185.00	82.49	...	82.49	188.00	...	188.00
2. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.91	...	0.91	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	21.00	...	21.00	4.00	...	4.00	21.00	...	21.00
जोड़		68.18	...	68.18	207.00	...	207.00	87.49	...	87.49	210.00	...	210.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर):** इस परियोजना की स्थापना चंडीगढ़ के निकट एस.ए.एस नगर, (मोहाली) में की गई है। इस संस्थान का उद्देश्य भारत में औषधीय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का संवर्धन करना तथा

भारत में औषधीय क्षेत्र की वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरा करना है। इस प्रावधान में दैनिक व्यय की पूर्ति हेतु गैर-योजनागत सहायता एवं औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी वर्तमान स्कीमों तथा नई स्कीमों एवं 7 नए नार्डपरों की स्थापना हेतु योजनागत सहायता शामिल है। ये 7 नार्डपर निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए गए हैं – अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी तथा रायबरेली। मदुरई में एक और परिसर बनाने के लिये एक नया केन्द्र बनाया गया है जिसके लिये बजट रु.119.96 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसमें गांधीनगर गुवाहाटी और रायबरेली के कपास निर्माण के आरंभ व उसके कार्यकलाप शामिल है।

3. **राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए):** सितंबर, 1994 में घोषित नई औषधि नीति के अंग के रूप में विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई थी जिसका दायित्व औषधियों तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करना तथा तत्संबंधी कार्य करना है। यह निकाय नियंत्रण बाह्य औषधियों तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग भी करता है तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है। वर्तमान में औषधियों का मूल्य नियंत्रण राष्ट्रीय भेषज मूल्यन नीति, 2012 पर आधारित 15 मई, 2013 को घोषित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के प्रावधानों के अनुसार है। मीडिया प्रचार के लिये रु. 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गैर आयोजना बजट प्रावधान व्यय प्राधिकरण के स्थापना व्यय एवं दवा मूल्यों की मानीटरिंग के सुदृढीकरण हेतु आयोजन सहायता के लिए है।

5. **औषधि संवर्धन तथा विकास स्कीम (पीपीडीएस):** इस बजट प्रावधान को विभिन्न सेमीनारों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के माध्यम से औषधि संवर्धन को सुनिश्चित करने हेतु किया गया है।

6. **अन्य जारी औषधि योजनाये:** 12वीं योजना के दौरान औषधि के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास की दिशा में विभिन्न नई स्कीमों शुरू किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें जन औषधि स्कीम और क्लस्टर विकास स्कीम भी शामिल है। जिस के लिए 82 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु है।